"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 जुलाई 2017—— आषाढ़ 10, शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्रमांक 02/चार/राष्ट्रपति चुनाव/2017/688.—— उप राष्ट्रपतीय चुनाव निर्वाचन-2017 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 480/2/2017 (1), दिनांक 01 जुलाई, 2017 एवं अधिसूचना संख्या 480/2/2017 (2), दिनांक 01 जुलाई, 2017 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(डी. डी. सिंह)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 2017—आषाढ़ 10, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 480/2/2017 (1).— राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (I) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, महासचिव, राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए एतद्द्वारा रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 1st July, 2017 — Ashadha 10, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2/2017(1).— In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission, in consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary General, Rajya Sabha, Parliament House, New Delhi, to be the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2017.

By order,

Sd/-
(R. K. Srivasatava)
Sr. Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 2017—आषाढ़ 10, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या 480/2/2017 (2).— राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (I) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली और श्री रोहतास, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली को, रिटर्निंग आफिसर की उनके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 1st July, 2017 — Ashadha 10, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2/2017(2).— In pursuance of sub-section (1) of Section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission, hereby appoints Shri Mukul Pande, Additional Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi, and Shri Rohtas, Joint Secretary, Rajya Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2017 in discharge of his official functions.

By Order,

Sd/-
(R. K. Srivasatava)
Sr. Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.